न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) न्यायालय श्रृंखला रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

निगरानी 713-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

श्री ... द्वारा आज दिनांक 23-2-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4799 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राहुल सिंह परिहार तनय श्री राजप्रताप सिंह परिहार उम्र–30 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम सतनरा कोठार, पोस्ट–हड़बड़ो थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपदबनास जिला–सीधी (म0प्र0) ——————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. दुलारे कोल तनय श्री जगदेव कोल उम्र–60 वर्ष, पेशा खेती,
2. सोनई कोल तनय श्री जगदेव कोल उम्र–58 वर्ष, पेशा खेती,
3. विश्वनाथ कोल तनय श्री जगदेव कोल उम्र–56 वर्ष, पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम सतनरा कोठार, पोस्ट–हड़बड़ो थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपदबनास जिला–सीधी (म0प्र0)

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीधी (म.प्र.) ——————उत्तरवादीगण

राजस्व निगरानी

निगरानी विरूद्ध व्यवस्थापन आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास जिला–सीधी (म0प्र0) के न्यायालयीन व्यवस्थापन राजस्व प्रकरण क्रमांक 13/अ–19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 24.11.1985 बाबत् पुराना आराजी खसरा क्रमांक 366 रकवा 0.787 हे0 याने 1.94 एकड़ हाल नम्बर 464/0.24 हे0, 468/0.75 हे0 स्थित ग्राम सतनरा कोठार तहसील गोपदबनास राजस्व निरीक्षक मण्डल सीधी गिर्द प्रथम पटवारी हल्का पुराना ईटौही नया सतनरा पवाई, जिला–सीधी (म0प्र0)

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 713/III/15 जिला सीधी

राहुल सिंह — दुलार कोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री गिरीश अग्निहोत्री उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्कों में बताया गया कि अनावेदकगण 1-3 तक के पिता जगदेव कोल द्वारा ग्राम समरा कोठार जिला सीधी की भूमि क्रमांक-366 रकबा 0.787 हे० यानी 1.94 एकड़ का हाल नं. 464 रकबा 0.24 एवं 468 रकबा 0.75 हे० का व्यवस्थापन झूठे तथ्यों के आधार पर अपने को भूमिहीन बताकर तथा मकान बना होने एवं कब्जा होने के असत्य तथ्यों के आधार पर रा०प्र०क्र०-13/अ-19/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 25-11-85 को व्यवस्थापन कराया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक 1-3 के पिता भूमिहीन नहीं थे उनके पास ग्राम अमहवा तहसील गोपदबनास जिला सीधी के सर्वे क्रमांक 191/2, 194/3, 197 एवं 202 कुल किता 4 रकबा 4.28 एकड़ भूमि थी इस तथ्य को छिपाया जाकर झूठे तथ्यों के आधार पर शासकीय भूमि को हथियाया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया कि व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों में काफी विरोधाभास होने के बाद भी अनावेदकों के पिता के नाम व्यवस्थापन किया गया। अनावेदक 1 से 3 के पिता की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि वारिसाना नामांतरण के रूप में अनावेदक 1-3 के नाम नामांतरित हुई जिसके वर्तमान में अनावेदकगण भूमि स्वामी अभिलेख में दर्ज है। आवेदक अधि० द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि	

[कृ. प. उ.

मान्यवर,

R. 713/III/15 2 सीधी

राहुल कुलदेव कोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवेदक उक्त भूमि का सरहदी काश्तकार है। उनके द्वारा यह भी बताया कि पटवारी को यह जानकारी थी कि अनावेदक के पिता जगदेवकोल के नाम पूर्व से भूमि थी फिर भी गलत जानकारी दे कर वास्तविक तथ्यों छिपाया जाकर शासकीय भूमि अपात्र व्यक्ति को व्यवस्थापित कराने में अनुचित उपयोग किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि व्यवस्थापन के समय वर्ष 1985 में अनावेदकगण का कोई मकान नहीं बना था तथ्यों को छिपाया जाकर व्यवस्थापन कराया गया। वर्तमान में भी कोई मकान उक्त भूमि पर नहीं बना है। इसके अतिरिक्त वही तथ्य प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां विचार में लिया जा रहा है। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में मेरे द्वारा प्रकरण के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक जगदेव सिंह जो अनावेदक क्र.1-3 के पिता थे, के द्वारा आवेदन दिनांक वर्ष 1985 में अपने आप को भूमिहीन होना दर्शाया गया है तथा पटवारी द्वारा भी प्रतिवेदन दिनांक-वर्ष 1985 में आवेदक को भूमिहीन अंकित किया गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-11-85 से अपात्र व्यक्ति को भूमि का व्यवस्थापन स्वीकार किया जाना पाया गया। जबकि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 4(3) के नियम 24 में भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि भूमि के ऐसे टुकड़े

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 713/III/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	रघुवर कार्यवाही तथा आदेश दुलारेकोल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	का व्यवस्थापन किया जा सकता है जो स्वतंत्र बंटन योग्य न हो यानी 0.40 हे. से कम भूमि का व्यवस्थापन किया जा सकता है वह भी भूमि स्वामी की भूमि जहां पूर्व से भूमि हो तथा वह उस भूमि से लगा क्षेत्र हो। इस प्रकरण मे यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा कि अनावेदक के पिता के नाम की भूमि व्यवस्थापित भूमि के पास थी या नहीं। इसके अतिरिक्त प्रकरण के संलग्न अभिलेख से भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रकरण के अवलोकन से इश्तहार प्रकाशन एवं अन्य विधिक प्रक्रियाओं की पूर्ति होना भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मे तह० द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 24-11-85 उचित एवं विधिक प्रक्रियाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण कलेक्टर सीधी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या आवेदक जगदेव कोल को भूमि प्राप्त करने की पात्रता थी,? क्या वह व्यवस्थापन दिनांक को भूमिहीन था? क्या व्यवस्थापित भूमि पर व्यवस्थापन दिनांक को मकान बना था? क्या व्यवस्थापन किये जाने मे राजस्व पुस्तक परिपत्र की	

[कृ. प. उ.

मान्यवर,

R. 713/III/15 4 सीधी

स्थान तथा दिनांक	राईज कार्यवाही तथा आदेश दुल्गरे कोल	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	कंडिका 4(3)/24 में निहित प्रावधानों का पालन किया गया है? इसके अतिरिक्त अन्य विधिक एवं संवैधानिक बिन्दु जांच के दौरान उपस्थित होने पर उनकी भी जांच कर प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में विधिवत निर्णय पारित करें। उक्त कार्यवाही के दौरान संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही की जावे। प्रकरण में जांच होने एवं निर्णय पारित करने तक तहसील का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 24-11-85 प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा जांच करने एवं नवीन आदेश पारित करने तक यह विवादित आदेश प्रभावहीन रहेगा। नवीन आदेश पारित होने पर यह आदेश दिनांक 24-11-85 स्वतः अधिक्रमित (निरस्त) माना जावेगा। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०द० हो। (सदस्य)	